



कार्यालय जिला पंचायत देवास (म.प्र.)



पता – जिला चिकित्सालय के सामने, एम.जी. हॉस्पिटल रोड,

देवास (म.प्र.) – 455001, फोन : 07272 – 252540, Email-ceozpdew@mp.gov.in

क्रमांक / ४५७५ / जि.पं. / पंचा.सेल / 2024

देवास, दिनांक १५.११.२०२४

विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजन ग्राम पंचायत सचिव के पदों की भर्ती हेतु

विज्ञापन

पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 9088 / पं.रा. / स्था-2 / एफ-6 / मु. / 2024 भोपाल, दिनांक 15.07.2024 अनुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिये अधोलिखित तालिका में वर्णित पदों की पूर्ति वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से की जाना है। आवेदन हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता का विवरण नीचे दर्शाई गई तालिका में वर्णित है। धारित पदों का विवरण वेतनमान निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं वॉक-इन-इन्टरव्यू के लिये निर्धारित तिथि एवं समय की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	विज्ञापित पद का नाम	दिव्यांगजन के लिये आरक्षित सिवित्यां				निर्धारित योग्यता एवं अर्हताएं	आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	वॉक-इन-इन्टरव्यू एवं दस्तावेज यथान हेतु निर्धारित तिथियां
		दृष्टिबाधित और कम दृष्टि	श्रवणबाधित और कम श्रवण	लोकोमीटर डिसेबिलिटी (सेरेब्रलपाल्सी, कृष्ण, रोगमुक्त, बानापन, एसिड अटैक, पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्रॉफी)	ऑटिज्म, बौद्धिक, दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी एवं बहुविकलांगता			
1	ग्राम पंचायत सचिव www.newsjobmp.com	02 पद				1. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्व विद्यालय अथवा मुक्त विश्व विद्यालय से कम्प्यूटर डिग्री/डिप्लोमा (कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण) होना अनिवार्य है।	09 / 12 / 2024	दिनांक 16 / 12 / 2024 से 20 / 12 / 2024 तक (प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक)

अन्य शर्तेः—

- आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि 09.12.2024 तक (कार्यालयीन अवकाश के दिनों को छोड़कर) ऊपर दिये गये कायालय के पते पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत देवास के नाम से संबोधित कर स्वयं प्रस्तुत करे अथवा पंजीयन डाक से प्रेषित करें। आवेदन पत्र कार्यालयीन समय सायंकाल 06.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए, इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं

किया जावेगा। आवेदन पत्र डाक से हुये विलम्ब के लिए कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण भरे हुये आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जावेगा।

2.

3. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र, कम्प्युटर डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र, निःशक्तता का प्रमाण पत्र, स्थानीय/मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज तथा पासपोर्ट साईज के दो स्व-प्रमाणित फोटोग्राफ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
5. आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
6. आवेदक का मध्यप्रदेश में किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
7. निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण-पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।
8. डिजीटल जाति प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।
9. समस्त प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अथवा स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
10. साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है।
11. कोई भी उम्मीदवार जिन्होंने विवाह के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, इस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें।
12. जिस आवेदक की 02 से अधिक जीवित संतान है उनमें से एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो तब ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
13. यदि आवेदनकर्ता किसी शासकीय संस्थान/निगम/मंडल में कार्यरत है तो उसे आवेदन प्रस्तुत करने की सूचना कार्यालय प्रमुख को भेजते हुए उसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
14. म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र. के आदेश क्रं. – एफ–02–09 / 2013 / 22 / पंचा–1 / 6477 भोपाल दिनांक 11.05.2018 अनुसार 01 जनवरी 2018 के पश्चात नियुक्त पंचायत सचिवों को 02 वर्ष की परीविक्षा अवधि तक रु. 10,000/- प्रतिमाह निश्चित मानदेय तथा 02 वर्ष की परीविक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा सुसंगत आदेश जारी होने के पश्चात रु. 5200–20200 + ग्रेड–पे 1900 का नियमित वेतन दिया जावेगा।
15. आवेदक द्वारा असत्य/भ्रामक/मिथ्या जानकारी अथवा दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने अथवा किसी भी कारण से नियम विरुद्ध नियुक्ति हो जाने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा किसी भी समय नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
16. प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात प्रचलित नियमों के अनुसार हायर सेकेण्ड्री में प्राप्त अंको की प्रतिशतता के कुल योग (एग्रीगेट) के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
17. आवेदक का चयन म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2011 तथा शासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों के तहत किया जावेगा।
18. नियुक्ति संबंधित समस्त अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवास के पास सुरक्षित रहेगा।